

20.05.2025:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। वादी जरिये अधिवक्ता द्वारा अर्न्तगत प्रार्थना पत्र 88 आर.टी.ए. मे चक नम्बर 43 एस.एस. डब्ल्यू. के खाता सख्या 144/38 मे वादी का नाम "स्वराज सिंह के स्थान पर शिवराज सिंह" हो गया है जबकि वादी का सही नाम स्वराज सिंह है। तथा इसी अनुसार रिकॉर्ड मे नाम दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया गया। साक्ष्य के तौर पर पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बच्चो की अंक तालिका आदि दस्तावेजात पेश किये गए है।

वादपत्र दर्ज कर तलबी प्रतिवादी जारी की गई। तहसीलदार हनुमानगढ से जबाव स्टेट प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादपत्र न्यायाहित मे स्वीकार कर तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि चक नम्बर 43 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता सख्या 144/38मे वादी का नाम "शिवराज सिंह के स्थान पर स्वराज सिंह उर्फ शिवराजसिंह" दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जाकर नाम दुरुस्त की किया जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम कर दाखिल दफतर की जाती है।

Handwritten signature
सहायक फलक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

